

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक:-प03(2)वन/2004

जयपुर, दिनांक :-28.7.05

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-50 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त उप धारा के प्रयोजन के लिए निम्न लिखित अधिकारियों को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक;
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक;
3. उप वन संरक्षक/उप निदेशक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/उप क्षेत्र निदेशक;
4. सहायक वन संरक्षक/सहायक निदेशक/वन्य जीव प्रतिपालक/सहायक क्षेत्र निदेशक/अनुसंधान अधिकारी।

(सी०एस० रत्नासामी)  
विशिष्ट शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, जयपुर।
2. शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
7. समस्त वन संरक्षक, राजस्थान।
8. समस्त उप वन संरक्षक/उप निदेशक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/क्षेत्र निदेशक।
9. समस्त सहायक वन संरक्षक।

विशिष्ट शासन सचिव